राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2011

जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना अधिसूचना क्रमांकः प.2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971 के तहत की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

2. **जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था :–**

विभाग की अधिकारिता सरकारी अधिसूचना संख्याः एफ–2(20) जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैं:–

1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
4. सेवा निवृत्तियों, मूल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

3. राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

4. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणों उपरान्त किया जाता है।

5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्दाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्यके सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।

6. मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित दरबार में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। परिणाम स्वरूप इस विभाग में प्राप्त परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

7. दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि में विभाग में 11883 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 102 पत्रों पर पत्रावली खोली जाकर

विभाग में 536 परिवाद लम्बित थे, उपरोक्त 102 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 638 परिवादों में से 329 परिवादों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराकर बंद कराये गये। दिनांक 31.12.2011 को 309 परिवाद लम्बित रहे।

8. <u>जिला एवं उपखण्ड स्तर पर जन सुनवाई</u> :–

विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.4(11) आरपीजी/एएस/एफ/99 दिनांक 15.01.2007 से माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्ट्ररों/ उप खण्ड अधिकारियों को जन सुनवाई कर आम आदमी के परिवादों का त्वरित समाधान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये :–

1. जिला कलेक्टरों/अतिरिक्त जिला कलेक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रति सप्ताह 2 बार लगभग आधे दिन का समय देकर प्राप्त परिवादों का जन सुनवाई के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा में निपटारा करेंगें । यह कार्य उनके दैनिक रूटीन कार्य के अतिरिक्त होगा।
2. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवादों के लिए एक सुनिश्चित समय सीमा तय की जायें । निर्धारित समय सीमा में परिवाद का निस्तारण न होने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी ।
3. प्रतिमाह जिला स्तर पर अन्तिम शनिवार तथा उपखण्ड स्तर पर भी प्रतिमाह आयोजित होने वाली सतर्कता समितियों की बैठकें बिना किसी व्यवधान के आयोजित कर लंबित/प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया जाए। यदि उस दिन राजकीय अवकाश पड़ता हो तो यह बैठक आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। संभागीय आयुक्त इन सतर्कता समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगें। जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इन

9. आलोच्य अवधि में 01.01.2011 से 31.12.2011 तक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की 295 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि में 2379 प्रकरण नये दर्ज किये गये। वर्ष में प्राप्त प्रकरण 2379 व पूर्व के बकाया प्रकरणों 603 कुल 2982 प्रकरणों में से 2612 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

10. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में सचिवालय के पुराने स्वागत कक्ष में "सुगम सेन्टर" की स्थापना की गई है। इसका शुभारम्भ दिनांक 12.5.2011 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। सेन्टर में कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों को जोड़ कर जन अभियोग निराकरण विभाग एवं सेन्टर पर सीधे ही प्राप्त हो रहे आम जनता के अभाव अभियोगों का निराकरण त्वरित गति से करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 31.12.2011 तक कुल 7179 प्रकरण सुगम सेन्टर पर दर्ज किये गये जिनमें से 4201 प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण हो चुका है तथा 2983 प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा चुका है।

परिशिष्ट – I

राजस्थान सरकार

जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.11 से दिनांक 31.12.11 तक विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों का वार्षिक विवरण

वर्ष में प्राप्त पत्रों की संख्या	योग	वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या			वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष के आरम्भ में लंबित परिवादों की संख्या	कॉलम 7 व 9 का योग	वर्ष में निस्तारित परिवादों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर लम्बित परिवादों की संख्या
		मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रों की संख्या	विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या	पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11883	11883	2957	8824	102	—	536	638	329	309
11883	11883	2957	8824	102	—	536	638	329	309

परिशिष्ट – II

राजस्थान सरकार

जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 31.12.11 तक "सुगम सेन्टर" द्वारा सम्पादित कार्यो का वार्षिक विवरण

	वर्ष के दौरान प्राप्त पत्रों/परिवादों की संख्या	योग	वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या		
			पूर्ण रूप से निस्तारित प्रकरणों की संख्या	संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किये गये पत्रों की संख्या	शेष लम्बित पत्रों/प्रकरणों की संख्या
	3	4	5	6	7
	7179	7179	4201	2963	15
	7179	7179	4201	2963	15

परिशिष्ट – III

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (01.01.11 से 31.12.2011)

क्र.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या	प्राप्त अभियोगों की संख्या	कालम 4 व 5 का योग	निस्तारित अभियोगों की संख्या	शेष अभियोगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	8	11	74	85	79	6
2.	अलवर	10	26	119	145	135	10
3.	बांसवाड़ा	10	4	3	7	4	3
4.	बारां	10	15	35	50	36	14
5.	बाड़मेर	8	18	63	81	67	14
6.	भरतपुर	7	10	74	84	70	14
7.	भीलवाड़ा	9	5	62	67	61	6
8.	बीकानेर	10	11	98	109	101	8
9.	बून्दी	9	11	24	35	30	5
10.	चित्तौड़गढ़	9	18	109	127	120	7
11.	चूरू	7	43	23	66	58	8
12.	दौसा	10	17	24	41	31	10
13.	धौलपुर	9	27	23	50	42	8
14.	डूंगरपुर	10	8	15	23	16	7
15.	हनुमानगढ़	10	16	45	61	54	7
16.	श्रीगंगानगर	9	7	131	138	127	11
17.	जयपुर	7	17	25	42	34	8
18.	जैसलमेर	10	28	110	138	97	41
19.	जालावाड़	9	10	150	160	138	22
20.	जालौर	9	27	95	122	114	8
21.	झुन्झुनू	8	26	66	92	88	4
22.	जोधपुर	10	56	46	102	83	19

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पाली	9	7	79	86	74	12
26.	राजसमन्द	6	12	80	92	81	11
27.	सीकर	7	9	58	67	55	12
28.	सवाई माधोपुर	10	24	176	200	169	31
29.	सिरोही	9	36	79	115	110	5
30.	टौंक	9	12	110	122	109	13
31.	उदयपुर	11	8	96	104	89	15
32.	करौली	8	15	120	135	119	16
33.	प्रतापगढ़	12	43	33	76	70	6
	योगः–	**295**	**603**	**2379**	**2982**	**2612**	**370**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।